पत्रांक–02 / वन लेखा–22 / 2023.................. / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15 दिनांक..................

विषयः– विभाग के उपयोगार्थ ई–रिक्सा भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ) के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के उपयोगार्थ प्रत्येक शुक्रवार को भाड़े पर चार ई–रिक्सा उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना प्रकाशित किया जाना है। इस हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ No.) – 03 / 2023–24 संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि उक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना को राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में दिनांक–17.11.2023 तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह० / –
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः02 / वन लेखा–22 / 2023 4100 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 14/11/23

प्रतिलिपिः– सानुलग्नक विभागीय आई०टी०मैनेजर को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के ई–विज्ञापन साईट पर शीघ्र ऑन–लाईन अपलोड एवं विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

V.AB. L.336

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना–800015

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ No.) – 03 / 2023–24

02 / वन लेखा–22 / 2023 ......4100...... / प०व०ज०प०, दिनांक ......14/11/23......

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भाड़े पर प्रत्येक शुक्रवार को ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के उपयोगार्थ सभी शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) दैनिक दर पर 04 ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक एजेंसी / फर्म / सेवा प्रदाता से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एजेंसी / फर्म / सेवा प्रदाता www.forest.bih.nic.in से कोटेशन आमंत्रण सूचना को डाउनलोड कर सकते है। पूर्णरूप से भरा हुआ मुहरबंद कोटेशन निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट / हाथों–हाथ दिनांक– ......4-12-23...... को अपराह्न 02:00 बजे तक कार्यालय–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में जमा की जा सकती है। उसी दिन अपराह् 03:00 बजे कोटेशन खोली जायेगी।

संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय
पटना–800015

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–03/2023–24

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के लिए प्रति शुक्रवार दैनिक भाड़े पर ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन सूचना पत्र :–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में कार्यालय उपयोग हेतु प्रति शुक्रवार 04 ई–रिक्शा, चालक सहित उपलबध कराने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है।
2. कोटेशनदाता द्वारा अंकित किये गये दर को चयन का आधार बनाया जायेगा।
3. वाहन प्रत्येक शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) को पूर्वाह्न 09:00 बजे से कार्यालय समाप्त होने तक उपलब्ध कराया जाना होगा। उक्त वाहन का उपयोग विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यों के उपयोगार्थ किया जायेगा।
4. **शर्तें, बंधेजें एवं दायित्वः–**

   (A) वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता के दायित्व :–

   i. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन प्रत्येक शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) पूर्वाह्न 09:00 बजे से कार्यालय समाप्त होने तक निश्चित रूप से विभाग में उपलब्ध रहे।
   ii. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता से की जायेगी ।
   iii. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आवंटित किये गये चालक का आवश्यकता पड़ने पर पुलिस Verification कराया जा सकता है।
   iv. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे ।
   v. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए ।
   vi. आपूर्त्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाणपत्र, Comprehensive Insurance Third Party and Occupants के साथ होना चाहिए ।
   vii. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में एवं साफ–सुथरा होना चाहिए ।
   viii. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का RC, Insurance, चालक का Driving Licence का छायाप्रति विभाग में जमा कराना होगा ।
   ix. चालक एवं वाहन को तुरंत–तुरंत बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होने वाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा विभाग को दी जानी चाहिए।

(B) प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व : –

वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे–

i. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर अथवा अन्य नशे में धुत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे।

ii. चालक अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं विभाग के पदाधिकारी/कर्मी से उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक पर कोटेशन की शर्त्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

iii. कार्यावधि के दौरान चालक द्वारा कर्त्तव्य से इंकार किया जाता है तो प्रतिनियुक्त चालक पर कोटेशन की शर्त्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

iv. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे उनसे संपर्क किया जा सके।

v. प्रतिनियुक्त चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है ।

vi. चालक साफ–सुथरा कपड़ा पहनेंगे तथा असंवैधानिक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे।

5. कोटेशनदाता के लिए नियम एवं शर्त्तें–

(A) कोटेशनदाता की अहर्त्ता एवं योग्यता–

i. एजेंसी के निबंधन का प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

ii. जी०एस०टी०निबंधन संख्या का प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

iii. पैन कार्ड होना चाहिए।

(B) कोटेशन की तैयारी –

i. कोटेशन पूर्ण रूप से कम्प्यूटर टंकित किया गया हो तथा इसमें किसी प्रकार का ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का फेर–बदल कोटेशनदाता द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, अन्यथा कोटेशन अयोग्य हो जायेगी। दस्तावेज के सभी पृष्ठों को क्रमवार होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर कोटेशनदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए।

ii. निम्नलिखित मुहरबंद A (तकनीकी भाग) तथा B (वित्तीय भाग) को पुनः एक अलग लिफाफे में डालकर एवं मुहरबंद कर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना–15 के पता पर जमा कराना होगा। लिफाफे पर ''पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में दैनिक भाड़े पर ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन'' एवं ''दिनांक–4-12-23को अपराह्न **3.00** बजे के पूर्व खोलना वर्जित है'' अंकित रहना चाहिए।

लिफाफा 'A'- तकनीकि भाग से संबंधित वांछित दस्तावेज–

a) एजेंसी के निबंधन के प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति,

b) जी०एस०टी० निबंधन के प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति,

c) पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति,

d) कोटेशनदाता को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी के समक्ष लिये गये इस आशय के शपथ–पत्र कि उनकी एजेंसी/कम्पनी केन्द्र सरकार/किसी

राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संगठन द्वारा निषिद्ध/कालीसूची में नहीं डाली गयी है की मूलप्रति,

लिफाफा 'B'- वित्तीय भाग में कोटेशनदाता को ई–रिक्शा के प्रतिदिन प्रति ई–रिक्शा का भाड़ा एक पृष्ठ पर अंकित करते हुए मुहर के साथ हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है।

iii. **कोटेशन को जमा करना–** मुहरबंद लिफाफा को दिनांक–4-12-2023 को अपराह्न 2:00 बजे तक सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना–15 के पता पर जमा कराना होगा। विलम्ब से प्राप्त कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

iv. **कोटेशन खोलने की प्रक्रिया:–**

(a) सबसे पहले तकनीकि भाग को दिनांक–4-12-2023 को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय निविदा समिति के द्वारा खोला जायेगा। इस प्रक्रिया में कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि पहचान पत्र एवं अधिकृत पत्र के साथ भाग ले सकते है।

(b) वित्तीय भाग वाले लिफाफा 'B' पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा अगली प्रक्रिया हेतु इसे मुहरबंद ही रखा जायेगा।

(c) तकनीकि भाग में सफल सभी कोटेशनदाता को वित्तीय भाग के खोले जाने की तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी। कोटेशनदाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि यदि चाहें तो उक्त तिथि को वित्तीय भाग खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

v. **एकरारनामा की अवधि:** वित्तीय भाग में सबसे निम्न दर अंकित करने वाले कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। यह एकरारनामा हस्ताक्षर के दिन से अगले दो वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

vi. **निष्पादन सुरक्षा–**

(a) सेवा प्रदाता को 5000/– (पाँच हजार रुपये) मात्र का Performance Security बैंक गारंटी के रूप में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में जमा कराना होगा।

(b) उक्त बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में जारी किया गया होना चाहिए। एकरारनामा का सफलतापूर्वक पालन करने के उपरांत उक्त Performance Security को सेवा प्रदाता को वापस कर दिया जायेगा।

(c) सेवा प्रदाता द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के साथ किये गये एकरारनामा का अनुपालन पूर्ण रूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त Performance Security को विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

vii. कोटेशनदाता से अपेक्षा की जाती है कि वे कोटेशन जमा करने के पूर्व सभी वांछित कागजात को सावधानीपूर्वक पढ़ लिये हैं। यह माना जायेगा कि कोटेशनदाता ने कोटेशन के सभी शर्तों को ठीक से समझते हुए इसे स्वीकार किया है। कोटेशन की स्वीकृति/अस्वीकृति के उपरांत किसी भी प्रकार के मौखिक अथवा लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा।

viii. सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य उप संवेदक को वचनबद्ध नहीं करेंगे अथवा इस एकरारनामा को किसी अन्य को पूर्णतः/आंशिक रूप में स्थानांतरित नहीं करेंगे।

ix. **दंड का अधिरोपणः–**

(a) समय का अनुपालन नहीं करने, वाहन चालक द्वारा अशोभनीय व्यवहार, वाहन का अनुरक्षण ठीक से नहीं करने, वाहन की आपूर्त्ति ससमय नहीं करने की स्थिति में सेवा प्रदाता पर दंड अधिरोपित किया जायेगा। इस स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना किसी अन्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर सकता है तथा इस सेवा के शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता से राशि लेकर अन्य सेवा प्रदाता (जिनसे वाहन ली गयी होगी) को किया जायेगा।

(b) संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं किए जाने पर दंडस्वरूप उनपर अधिकतम 10% तक का दंड अधिरोपित किया जायेगा। दंड की राशि का समायोजन उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि को कम कर की जायेगी।

x. **विपत्रों का भुगतान–**

(a) सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्रों का भुगतान प्रत्येक माह के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का दंड अधिरोपित किया गया हो तो उसे घटाकर उक्त विपत्र को भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर आपूर्त्ति की गई ई–रिक्शा का पंजीकरण संख्या, GST संख्या, बैंक खाता का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए तथा इसे ड्यूटी स्लीप के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(b) विपत्रों का भुगतान सेवा प्रदाता को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

(c) ड्यूटी स्लीप पर किसी प्रकार का ओवर राईटिंग नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का ओवर राईटिंग किया जाता है तो इसके सत्यापन स्वरूप सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(d) TDS/GST की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(e) सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के कोटेशन को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

3/1/23

संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना